अज अदालत............उप जिला कलेक्टर..............................मुकाम...

....बनाम...

किस्म मुकदमा..नं. ....सन्.............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया एवं अप्रार्थी स0 1 जुगराज 2 जोधराज ,3 रूपकुमार , 6 ग्यारसी बाई , उपस्थित आए । अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 6 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र किसी नियमित वाद में जो कि न्यायालय हाजा में जैरकार हो उस पर ही पोषणीय है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/07/2015 का अवलोकन किया । उक्त प्रकरण लोक अदालत में फैसल हुआ- है, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 03/08/2021 को मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज कर दी थी। अधिवक्ता प्रार्थीया एवं प्रार्थीया स्वयं हाजिर आए है उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय में उन्हें राजीनामे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा है इसलिए हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए मूल वाद की पत्रावली तलब कर पुनः सुनवाई की जावे । मैंनें पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों ,प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 एवं दस्तावेजात् एवं प्रतिवादी गण 1, 2, 3, एवं 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह स्वयं में एकल रूप से चलने योग्य नहीं है ऐसा प्रार्थना पत्र केवल वाद के चलते ही सुना जा सकता है माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण रिमांड नहीं किया गया है। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा गया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक बार निर्णय किया जा चुका हो एवं ऐसी पत्रावली जो कि रिमांड भी नही की गई हो पर पुनः सुना जाकर निर्णय दिया जाना विधि अनुकुल भी नहीं होता और ना ही मूल वाद की पत्रावली में प्रार्थीया का कोई काउंटर क्लेम था जिसमें उनके अधिकार सृजित किए जा सके। यदि प्रार्थीया को राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय से आपत्ति थी तो उसे माननीय राजस्व मण्डल में अपील करनी चाहिए थी। अतः धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बिना नियमित वाद के पेश किया गया है, जो काबिल खारिज से निरस्त कर खारिज किया जाता है। निर्णय प्रार्थीया की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अंजना सहरावत उपखण्ड कलेक्टर इटावा	गायत्रीई